मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1020/1989

अपीलार्थी :– पीलसाय आ चैतराम, उम्र 59 वर्ष,
निवासी– आइरामनार पुलिस (अभिरक्षा में)
थाना– बीजापुर, जिला बस्तर

विरुद्ध

उत्तरवादी :– मध्यप्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि	दंडादेश
अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास

अपील अंतर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्री कामिल खलको द्वारा दिनांक 06/10/89 को पारित आदेश एवं दंडादेश के विरुद्ध

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 1020/1989</u>

पीलसाय

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य

पीठ (कोरम): माननीय श्री फ़ख़रुद्दीन,

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्तिगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री रणबीर सिंह, अधिवक्ता, श्री सौरभ एवं सुश्री समता जैन के साथ, अपीलकर्ता की ओर से।

श्री सचिन सिंह राजपूत, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

दिलीप आर. देशमुख, न्यायमूर्ति द्वारा

सुना गया।

2. अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत शांतिबाई, जो कि प्रेमलाल की विधवा थीं, की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और

उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना 7 और 8 अप्रैल 1985 की मध्यरात्रि में जिला बस्तर के ग्राम कुएनार में घटित हुई थी। सह–अभियुक्त सावंतराम, जिसे अभियुक्त अपीलकर्ता के साथ धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसी अपराध के लिए आरोपित किया गया था, को दोषमुक्त कर दिया गया।

3. अभियोजन की कहानी संक्षिप्त दायरे में सीमित है। मृतका शांतिबाई एक विवाहित महिला थी। उसके पहले पति का निधन हो चुका था। घटना की तारीख से पूर्व, शांतिबाई आठ माह की गर्भवती थी और वह अपने घर में अकेली रहती थी। अभियोजन का आरोप है कि अपीलकर्ता पीलसाय के शांतिबाई के साथ अवैध संबंध थे और शांतिबाई उसी के कारण गर्भवती हुई थी। दिनांक 4.4.1985 को गांव में एक पंचायत हुई थी जिसमें शांतिबाई ने यह कहा था कि वह पीलसाय से गर्भवती है। पीलसाय ने इस आरोप का खंडन किया था। जब शांतिबाई अपने आरोप पर अड़ी रही, तब पीलसाय ने उसे धमकी दी थी। दिनांक 08.04.1985 को सुखीराम नामक व्यक्ति ने शांतिबाई का शव उसके घर के अंदर देखा और इस संबंध में कोटवार बुंदी बिच्छाम (अ.सा.- 1) को सूचना दी, जिसने मर्ग सूचना (प्र.पी.-5) दर्ज कराई। दिनांक 9.4.1985 को शांतिबाई के घर से मृतका की उल्टियां एवं अन्य तुच्छ वस्तुएं जब्त की गईं। दिनांक 9.4.1985 को प्रातः 8:00 बजे डॉ. एम.एल. गुप्ता (अ.सा.– 13) द्वारा किया गया शव परीक्षा प्रतिवेदन (पोस्टमार्टम रिपोर्ट) — गर्दन के अग्र भाग पर 6" x 1½" माप का एक नीला निशान, बाएं कंधे के पिछले भाग में एक नीला निशान (आक्रोमियन प्रोसेस के ठीक ऊपर) जिसकी माप 1" x 1" थी, योनि से स्राव एवं नाक से रक्तस्राव, पेट फूला

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हुआ पाया गया और मृतका आठ माह की गर्भवती थी, के तथ्य को उजागर करता है। डॉक्टर की राय में, शांतिबाई की मृत्यु श्वास अवरोध (ट्रेकिया में अवरोध) के कारण हुई, जो कि गला घोंटने से दम घुटने (अस्फिक्सिया) के कारण थी, और यह मृत्यु हत्या (होमिसाइडल– मानव वध) थी। अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि बारतूराम (अ.सा.– 3) ने घटना की पूर्व संध्या को मृतका के घर के बाहर अपीलकर्ता की साइकिल खड़ी देखी थी। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अभियुक्त अपीलकर्ता को न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त अपीलकर्ता ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया। उसने इस बात से भी इंकार किया कि शांतिबाई उससे गर्भवती हुई थी। इस बात के समर्थन में उसने डॉ. के.के. हरजपाल, सहायक शल्य चिकित्सक (ब.सा.-1) का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिन्होंने यह कहा कि अभियुक्त अपीलकर्ता के वीर्य की अन्वेषण करने पर उसमें कोई शुक्राणु नहीं पाए गए। ब.सा.-2, डॉ. एल.के. नायक ने यह साक्ष्य दिया कि उन्होंने अभियुक्त के वीर्य की अन्वेषण करवाने का सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि अभियुक्त पहले ही नसबंदी का ऑपरेशन करवा चुका था। अन्वेषण अधिकारी पी. संतोष राव (अ.सा.-12) ने भी, कंडिका 4 में यह कहा कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के वीर्य की अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे यह पुष्टि हुई कि अभियुक्त संतानोत्पत्ति में अक्षम था, हालांकि वह संभोग करने में सक्षम था।

5. न्यायालय द्वारा कंडिका 9 में पारित निर्णय में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के परीक्षण हेतु दो मापदंड निर्धारित किए गए थे, जो निम्नलिखित थे:
a) अभियुक्त अपीलकर्ता को मृतका के साथ अंतिम बार देखा जाना; एवं
b) हत्या का हेतुक (करने का कारण)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, न्यायालय ने कंडिका 13 में यह निष्कर्ष दिया कि यह सिद्ध नहीं हुआ कि अभियुक्त अपीलकर्ता पीलसाय तथा सह–अभियुक्त सावंतराम को घटना से पूर्व मृतका के साथ अंतिम बार देखा गया था। इस प्रकार, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला की मुख्य कड़ी पूर्णतः अनुपस्थित है। यह भी निष्कर्ष दिया गया कि सह–अभियुक्त सावंतराम के विरुद्ध कोई भी प्रमाण नहीं था, यहाँ तक कि एक अंशमात्र भी नहीं। उक्त तथ्यों को स्वीकार करने के उपरांत न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए कंडिका 17 में यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के पास हत्या का हेतुक (करने का कारण) था, क्योंकि शांतिबाई ने पंचायत में उसके विरुद्ध गर्भवती होने का झूठा आरोप लगाया था। केवल इसी आधार पर, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता पीलसाय को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध माना।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. अपीलकर्ता के पक्ष में माननीय अधिवक्ता ने मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया कि केवल हेतुक के आधार पर अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराना पर्याप्त आधार नहीं है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि तथा उसके अंतर्गत दी गई सजा विधिक रूप से धारणीय नहीं है, क्योंकि शांतिबाई की हत्या के अपराध से अपीलकर्ता पीलसाय को जोड़ने हेतु कोई वैधानिक तथा विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से माननीय पैनल अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि शांतिबाई ने पंचायत में अपीलकर्ता के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि वह उससे गर्भवती हुई है, अतः केवल अपीलकर्ता के पास ही शांतिबाई की हत्या करने का आवश्यक हेतुक था। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि अ.सा.-3 बारतू

राम का कुछ साक्ष्य उपलब्ध है, जिसने घटना की पूर्व संध्या को मृतका के घर के बाहर अपीलकर्ता की साइकिल खड़ी देखी थी। अतः उन्होंने यह तर्क दिया कि न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को शांतिबाई की हत्या के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाना विधिसंगत है।

8. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की गुण एवं दोषो की विवेचना से संबंधित विधि अब पूर्णतः स्थापित हो चुकी है। जहाँ अपराध कारित किए जाने से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, वहाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्य सदैव अभियुक्त की दोषसिद्धता के परिकल्पना के साथ संगत और उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों की श्रृंखला अपने आप में इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वह किसी भी ऐसे युक्तिसंगत आधार को जन्म न दे जिससे अभियुक्त की निर्दोषता का अनुमान निकाला जा सके। अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त अभियोग लगाने की परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वे केवल दोषसिद्धता की एकमात्र संभावना की ओर ही इंगित करें और अभियुक्त की निर्दोषता की प्रत्येक संभावना को युक्तिसंगत रूप से समाप्त कर दे। वे परिस्थितियाँ जो केवल अभियुक्त की दोषसिद्धता के परिकल्पनाके साथ संगत हैं, उन्हें भी पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए और उनका स्वरूप भी निर्णायक होना चाहिए।

9. अपराध कारित किए जाने की हेतुक एक दुर्बल एवं कमजोर प्रकार (प्रकृति) का परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता है और स्वयं में दोषसिद्धता के परिकल्पना तक ले जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण नहीं कर सकता। इसे ज्यादा से ज्यादा एक कड़ी कहा जा सकता है, न कि स्वयं संपूर्ण श्रृंखला। ऐसे मामले हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकते हैं जहाँ किसी अपराध को जानबूझकर बिना किसी हेतुक के भी कारित किया गया हो। ऐसे मामलों में यदि अपराध कारित करने का हेतुक एवं परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती हैं, तो केवल हेतुक के अभाव मात्र से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, जहाँ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में न तो हेतुक, न कृत्य और न ही अन्य कोई परिस्थितियाँ विद्यमान हों, वहाँ मात्र इस तथ्य से कि अपीलकर्ता के पास अपराध करने का हेतुक हो सकता था, यह कभी भी अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध जो परिस्थिति प्रस्तुत की गई है, वह यह है कि मृतका शांतिबाई ने ग्राम पंचायत में यह आरोप लगाया था कि वह अपीलकर्ता से गर्भवती हुई है। सुरज बाई (अ.सा.-5) ने भी यह कहा है कि पंचायत के बाद उसने शांतिबाई को रोते हुए देखा था, जिसने उसे बताया कि पीलसाय उसके द्वारा गर्भ धारण किए गए बच्चे की पितृत्वता को नकार रहा है। बारतू राम (अ.सा.-3) ने यह स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने शांतिबाई के लिए एक मकान बनवाया था और पंचायत में जब शांतिबाई ने यह कहा कि वह पीलसाय के घर जाएगी, तब उसने उसे अपने घर स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। पीलसाय ने पंचायत में यह भी कहा था कि यदि शांतिबाई उसके घर आएगी, तो वह उसके पैर तोड़ देगा। बुधराम (अ.सा.-6) का कथन पूर्णतः अविश्वसनीय है, क्योंकि उसने मुख्य परीक्षण में अपने ही कथन का खंडन करते हुए यह स्वीकार किया कि पीलसाय ने पंचायत में यह कहा था कि उसने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया है, अतः शांतिबाई उससे गर्भवती नहीं हो सकती। अन्वेषण

अधिकारी पी. संतोष राव (अ.सा.-12) का कथन भी यह दर्शाता है कि अन्वेषण के दौरान पीलसाय के वीर्य की अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त प्रजनन में असमर्थ था। डॉ. के. के. हरजपाल (ब.सा.-1) और डॉ. एल. के. नायक (ब.सा.-2) के अखंडित साक्ष्य भी अभियुक्त के पक्ष में पूर्णतः समर्थन करते हैं कि पीलसाय के वीर्य में शुक्राणु नहीं पाए गए थे और उसने नसबंदी ऑपरेशन करवाया था। यह इस प्रकार स्पष्ट है कि जब अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से यह इंकार कर दिया था कि शांतिबाई उससे गर्भवती हुई थी, क्योंकि उसने पूर्व में ही नसबंदी ऑपरेशन करवा लिया था, तो वह शांतिबाई की हत्या करने का आवश्यक हेतुक नहीं रखता था, क्योंकि वह अपनी निर्दोषता को प्रमाणित कर सकता था। अदालत द्वारा साक्ष्यों की विवेचना करते समय अपनाया गया दृष्टिकोण पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रहा। एक बार जब यह परिस्थिति सिद्ध नहीं हो सकी कि अपीलकर्ता एवं सह-अभियुक्त को घटना से पूर्व मृतका के साथ देखा गया था, तो अभियोजन के साक्ष्यों में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं बचती, जिससे परिस्थितियों की श्रृंखला निर्मित की जा सके। न्यायालय द्वारा निर्णय के कंडिका 15 में निकाला गया निष्कर्ष केवल कल्पनाओं और अनुमानों पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. राज्य बनाम सुचा सिंह एवं अन्य, (ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 1471) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया (निष्कर्ष दिया) है कि चाहे हेतुक कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह साक्ष्य के स्थान पर नहीं रखा जा सकता। वर्तमान प्रकरण में न तो ऐसा कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलकर्ता ने शांतिबाई की हत्या करने का आशय किया था अथवा इस दिशा में कोई कृत्य किया था, और न ही हत्या करने की कोई हेतुक ही सिद्ध हो पाई है।

इस प्रकार, साक्ष्य की सराहना करते समय न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रहा है। इस प्रकरण में जो कथित हेतुक प्रस्तुत की गई है, वह स्वयं अभियुक्त द्वारा पंचायत में किए गए इस दृढ़ कथन से खंडित हो जाती है कि उसने नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया था और इसलिए शांतिबाई उससे गर्भवती नहीं हो सकती थी। यह तथ्य भी अन्वेषण के दौरान प्रमाणित हुआ। अतः माननीय विचारण करने वाले न्यायाधीश ने केवल हेतुक से संबंधित साक्ष्य के आधार पर — जो विश्वास उत्पन्न करने में असमर्थ रहा — अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराने हेतु अत्यधिक कल्पना का सहारा लिया, जो विधिसम्मत नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. किसी अपराध के कारित होने में चार पहलू होते हैं। प्रथम, यह कि अपीलकर्ता के पास कोई हेतुक हो सकती है, जो उसे अपराध करने की नीयत या आशय बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसके पश्चात्, उस नीयत या आशय को क्रियान्वित करने हेतु तैयारी या कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जो अपराध की दिशा में अग्रसर हो। और अंततः, स्वयं अपराध का कारित होना आवश्यक है। यदि हेतुक, नीयत या आशय, तैयारी तथा अपराध के कारित होने से संबंधित परिस्थितियाँ संदेह से परे स्थापित हो जाती हैं, तभी वे परिस्थितिजन्य साक्ष्य की उस श्रृंखला को पूर्ण कर सकती हैं, जो दोषसिद्धता के परिकल्पना की ओर ले जाती है। मात्र एक संभावित हेतुक, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अपीलकर्ता की दोषसिद्धता के परिकल्पना को संदेह से परे स्थापित करने हेतु साक्ष्य के स्थान पर नहीं रखी जा सकती।

13. इस अपील का निर्णय करते समय हम एक अन्य पक्ष पर भी विचार करना आवश्यक समझते हैं, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, कि भारतीय दंड संहिता

की धारा 34 के अंतर्गत आरोप स्थापित करते समय न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अत्यंत सतही रहा है। यह विधिसिद्ध परिकल्पना है कि जब किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कोई अपराध करने की सामान्य आशय किया था, तो उस अपराध में किए गए कार्य को — जहाँ तक संभव हो — आरोप पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। यदि विचारण करने वाले न्यायाधीश ने इस परिकल्पना को ध्यान में रखा होता, तो आरोप तय किए जाने के स्तर पर ही परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को देखा जा सकता था। अतः विचारण न्यायालय को उचित रूप से यह परामर्श दिया जा सकता है कि जब भी किसी अभियुक्त के विरुद्ध सह-अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अधीन अपराध करने का आरोप हो, तब वह यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करे कि अभियुक्त द्वारा कौन-सा कार्य किया गया या नहीं किया गया, जिससे वह उस सामान्य आशय की पूर्ति में सहायक बना।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. अपीलकर्ता के पक्ष में माननीय अधिवक्ता की यह प्रस्तुत दलील कि अभियुक्त को अपराध से जोड़ने हेतु कोई हेतुक नहीं थी — स्वीकार की जानी चाहिए, क्योंकि अभियोजन पक्ष के मामले की मूल आधारशिला ही ढह चुकी है और यदि कोई हेतुक थी भी, तो वह इस प्रकरण में महत्वहीन हो गई है। यहाँ तक कि शांतिबाई की हत्या करने की हेतुक भी वर्तमान प्रकरण में पूर्णतः स्थापित नहीं हो सकी है।

16. अंततः विश्लेषण के पश्चात, यह अपील स्वीकार की जाती है। शांतिबाई की हत्या करने के अपराध में अपीलकर्ता की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत

की गई दोषसिद्धि तथा उस पर प्रदत्त दंड को निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता के जमानत बंध पत्र (बांड) निरस्त किए जाते हैं।

फ़ख़रुद्दीन
न्यायमूर्ति

16.06.2005

दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायमूर्ति

16.06.2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Prashant Kumar